


9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 15किली० पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद एवं 20किली० डीजल ऑयल (एच०एस०डी०)-1अदद के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
10. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
11. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।
12. डी०जी० सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य श्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
15. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में वर्षा जल संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये।
16. पेट्रोल पम्प पर वाहनो के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य यातायात बाधित न हो।
17. न्यू रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तावित डीजल ऑयल एवं पेट्रोल अण्डरग्राउण्ड स्टोरेज टैंक को डबल वाल्ड टैंक स्थापित किया जाये अथवा स्टोरेज टैंक के चारो तरफ कंक्रीट प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया जाये।
18. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट द्वारा 100मीटर दूरी के अन्दर वर्ष में एक बार भूमिगत जल तथा मिट्टी की गुणवत्ता की जांच सी०पी०सी०बी० द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स की जांच एन०ए०बी०एल० एक्वीडेटेड प्रयोगशाला से कराया जाये।
19. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नये पेट्रोल पम्प हेतु बनायी गयी गाइड लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन किया जाये।
20. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशो का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

6/5/22
 अजय सी० रूगे / Ajay C Ruge
 प्रदेशिक प्रबन्धक (पेट्रोल) Territory Manager (Retail) Gonda
 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | Bharat Petroleum Corporation Limited

भवदीय

 (विजय)
 क्षेत्रीय अधिकारी